


न्यायालय श्रीमान राजरव मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0



छोटे लाल तनय केमला प्रसाद पाण्डेय उम्र 79 वर्ष निवासी ग्राम अकौरी
तह0त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 ————— आवेदक / निगरानी कर्ता

बनाम

भोला प्रसाद पाण्डेय तनयस केमला प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम अकौरी तह0
त्यौथर जिला रीवा म0प्र0 ————— अनावेदक / गैरनिगरानीकर्ता

आवेदन पत्र वावत पुर्नस्थापित किए जाने प्र0क0
3995 / निग0 / 3 / 2013 अदम पैरवी मे निरस्त
दिनांक 11-5-16

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म0प्र0भू0रा0
संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है -

1— यह कि उक्त उनमान निगरानी प्रकरण क्रमांक 3995 / 3 / 2013
माननीय न्यायालय मे विचाराधीन था । जो दिनांक 11-5-16 को उभय पक्ष
की अनुपरिस्थिति के कारण अदम पैरवी मे निरस्त हो गया ।

2— यह कि निगरानी कर्ता बृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र 79 वर्ष तथा वह
प्रत्येक पेशी मे माननीय न्यायालय मे उपस्थित नही हो सकता । इस कारण
प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया था । तथा अधिवक्ता महोदय
द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जानकारी देने हेतु कहा गया था किन्तु कोई
जानकारी नही दी गयी । दिनांक —5-6-16 को अधिवक्ता महोदय श्री
अंगिरा प्रसाद एड0 से प्रकरण की जानकारी चाहे जाने पर अधिवक्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. M. 5251-II/16.....जिला ग्वालियर

द्वीपेल/लं पाण्डे/गोला असाद

संशान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.5.17.	<p>1- आवेदक की ओरते नी अजय पाण्डे ए. 37/।</p> <p>2. आवेदक द्वारा यह आवेदन दोहला न। चार 3583 के तहत प्रकाश अनुसार R. 3995/रिक्टर/रिक्टर</p> <p>13. अद्यत पेरामी द्वारा 11.5.16 को पुरातात्पत्र हेतु प्रस्तुत रिक्टर को पुरातात्पत्र पर दुना गांवत्था प्रकाश का अवंतीकरण किया। पुरातात्पत्र आवेदन लिपि-रिक्टर ने प्रस्तुत किया। प्राप्त हुए अतः इस प्रकाश अनुसार R. 3995-रिक्टर/13 प्रस्तुत गवर्नर रिक्टर जाली हेतु प्रकाश चालू किया गया।</p> <p>3. प्रकाश देखी ते तदाप्त हेतु दृष्टि है।</p>	<p>पुरातात्पत्र रिक्टर</p> <p>N A.W.H.</p> <p>सदस्य</p>